आदर्श उपविधियाँ

बहु–उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी–पैक्स)/
बहु–उद्देशीय लैम्प्स लि0 -------------

(वर्ष 2011 की उपविधि का प्रथम संशोधन)

जनपद–-------------

2023

आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0

14, डॉ0 अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ

बहु-उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (B-PACS)/बहु-उद्देशीय LAMPS लि0 ....की उपविधियां

सहकारी समिति की पहचान

1- अ- नाम - बहु-उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (B-PACS)/ बहु-उद्देशीय LAMPS लि0..................................

ब- पता - --

स- ई-मेल - --

परिभाषायें

2- इन उपविधियों में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो, तब तक :-

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966)(समय-समय पर यथा संशोधित) से है।

(2) ''समिति'' से तात्पर्य-------------बहु-उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स)/बहु-उद्देशीय लैम्प्स डाकखाना----------- विकास खण्ड--------जिला---------से है।

(3) ''संचालक मण्डल'' का तात्पर्य समिति के संचालक मण्डल से है जिसे अधिनियम की धारा 29 के अधीन समिति के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया है।

(4) ''बैंक'' से तात्पर्य जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/वित्त पोषक बैंक से है जिसकी समिति सदस्य है।

(5) ''सचिव'' का तात्पर्य समिति के सचिव से है जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत हुई हो।

(6) ''अधिकतम दायित्व' का तात्पर्य उस अधिकतम राशि से है जो समिति उधार ले सकती है। इसके अन्तर्गत अंश पूंजी सम्मिलित नहीं होगी।

(7) ''स्वाधिकृत पूंजी'' (निजी पूंजी) का तात्पर्य समिति की संचित हानियों को, यदि कोई हो, निकाल देने के पश्चात् निम्नलिखित मदों के योग से है :-

(अ) अभिदत्त अंशपूंजी,,

(ब) संचित रक्षित निधि,,

(स) लाभ सृजित अन्य निधियां,, और

(द) सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से स्थापित निधियां तथा विशेष रिजर्व से।

(8) निबन्धक का तात्पर्य क्षेत्र के संयुक्त निबन्धक/उपनिबन्धक/सहायक निबन्धक/प्रभारी अधिकारी से भी होगा, परन्तु यदि अधिनियम, नियमों या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निबन्धक के कोई अधिकार

इस समिति के सम्बन्ध में किसी अन्य विभागीय अधिकारी को दिये गये हों तो उन अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में निबन्धक का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से भी होगा।

(9) ''नियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 (यथा संशोधित) के नियमों से है।

(10) ''उपविधि'' का तात्पर्य समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) उपविधि से है।

(11) ''वर्ष'' का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से प्रारम्भ होकर अगले मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

(12) ''सदस्य'' का तात्पर्य समिति के सदस्य से है।

(13) ''राज्य सरकार'' से तात्पर्य उ0प्र0 सरकार से है।

(14) ''नाबार्ड'' से तात्पर्य नाबार्ड अधिनियम, 1981 द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है।

(15) ''पेशेवर निदेशक'' से तात्पर्य वह व्यक्ति है जिसे लेखाकर्म, वित्त, प्रबन्धन, बैंक कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, कृषि, सहकारिता, सहकारी प्रबन्धन के क्षेत्र का या समिति के कार्य कलापों से सम्बन्धित किसी अन्य विशेषीकृत क्षेत्र का विशेषज्ञ होने के नाते जो समिति के व्यावसायिक कार्यकलापों और मामलों में मार्गदर्शन और सलाह देने को इच्छुक हो, समिति द्वारा बिना मतदान के अधिकार के निदेशक के रूप में निदेशक बोर्ड में नियुक्त या सहयोजित किया गया हो।

(16) ''आरबीआई'' से तात्पर्य आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा गठित भारतीय रिजर्व बैंक से है।

(17) ''वित्तीय संस्थान'' से तात्पर्य केन्द्र व राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों से है।

(18) ''उपसमिति'' से तात्पर्य उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 29 में वर्णित उपसमिति से है।

(19) ''प्रतिनिधि'' से तात्पर्य यथा स्थिति सदस्यों के प्रतिनिधि या समिति के प्रतिनिधि से है।

(20) ''निर्वाचन आयोग'' से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग से है।

(21) ''श्रमिक समूह'' श्रमिक समूह से तात्पर्य स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदायकर्ता के कार्य हेतु गठित एक श्रमिक समूह से है।

(22) ''न्यायाधिकरण'' से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित सहकारी न्यायाधिकरण से है।

कार्यक्षेत्र

3- इस समिति का कार्यक्षेत्र --

ग्राम पंचायतों तक सीमित होगा।

उद्देश्य

4- समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(अ) मुख्य -

(1) सदस्यों को कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण देना।

(2) सदस्यों को कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं, जैसे बीज, खाद, यंत्र, कीटनाशक औषधियां इत्यादि एंव कृषि तथा कुटीर उधोग और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करना तथा वितरण करना अथवा अन्य साधनों द्वारा उन्हें सदस्यों को प्राप्त करने में सहायता देना।

(3) सदस्यों की कृषि उपज, कृषि उघोग तथा कुटीर उघोग की वस्तुओं को उचित मूल्य पर बिक्री कराने का प्रबन्ध करना।

(4) सदस्यों की पैदावार को सुरक्षित रखने के लिए निजी गोदाम प्राप्त करना, बनवाना या किराये पर लेना।

(5) किसी भी सहकारी संस्था के एजेण्ट के रूप में बीज वितरण और उसकी वसूली तथा खाद, कृषि यन्त्रों इत्यादि के विक्रय का कार्य करना।

(6) सदस्यों में मितव्ययिता, अपनी मदद आप करने और एक दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक योजनायें बनवाना और उन्हें कार्यान्वित करना।

(7) वित्तपोषण बैंक/कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/राज्य और केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना।

(8) पश्चगामी लिंकेज (जैसे प्रदर्शन भूखंड, सिंचाई सुविधाएं, खाद, उर्वरक, उन्नत बीज/बीज उत्पादन, कस्टम हायरिंग केन्द्र, कृषि मशीनरी/उपकरण, कीटनाशक और अन्य उत्पादन संबंधी इनपुट इत्यादि) और अग्रगामी लिंकेज (जैसे संग्रहण, श्रेणीकरण, सफाई, पैकेजिंग, बांडिंग और विपणन, भण्डारण (गोदाम व शीतग्रह) प्रसंस्करण, मूल्य श्रंखला (परिवहन, लॉजिस्टिक्स, प्रशीतीत वैन, आदि) का प्रोत्साहन और विकास करके समिति के कार्यक्षेत्र में सदस्यों को कृषि पैदावार और उसके उत्पाद (जैसे फसलों, फल व सब्जियों, पुष्पकृषि, डेयरी कार्यकलापों, मात्स्यिकी/झींगा खेती, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, बागानी फसल, भेड़, बकरी, खरगोश, सुवर पालन और अन्य कोई भू/जलीय आधारित कृषि संबंधित कार्यकलाप और उनका प्रसंस्करण) में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(9) समिति और उसके सदस्यों के लाभ के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किसी भी स्थानीय निकाय/सरकार/विभाग/समिति/कम्पनी के साथ सुगम व्यवस्था या सहयोग करना।

(10) सेवा या व्यावसायिक कार्य (जैसे अवसंरचना विकास, सामुदायिक केन्द्र, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, खाद्यान्नों का प्राप्ति, उचित मूल्य की दुकान या कोई सरकारी योजना, डीलरशिप/एजेन्सी/डिस्ट्रिब्यूटरशिप या एलपीजी/ पेट्रोल/डीजल/हरित ऊर्जा/कृषि

या घरेलू उपभोग्या या टिकाऊ वस्तुओं/कृषि मशीनरी, कौशल विकास हेतु सदस्यों का प्रशिक्षण आदि) में शामिल होना जिससे समिति या इसके सदस्यों की सुविधाओं और आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके;

(11) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुमति से लॉकर सुविधा स्थापित करना या उसकी व्यवस्था करना।

(12) कार्यक्षेत्र में सभी सदस्यों और गैर सदस्यों की सामाजिक आर्थिक, वित्तीय और व्यवसाय सम्बन्धी सूचना एकत्र करना जिससे कृषि योजना और सम्बन्धित व्यवसाय योजना या विकास योजना के लिए नीति अवसंरचना सुदृढ़ हो सके और जो कार्यक्षेत्र के सभी हितधारकों के लिए लाभकारी हो।

(13) समिति और उसके सदस्यों की आय में वृद्धि के लिए कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों का प्रदर्शन, संवर्धन और नवीनतम प्राद्योगिकी या विस्तारित कार्यकलापों का विकास।

(14) अपने सदस्यों और उनके परिवारों (विशेषकर युवाओं और महिलाओं) तथा प्रबन्धन व स्टाफ को सहकारी सिद्धान्तों मूल्यों और आचरणों की शिक्षा देना जिससे कार्यक्षेत्र के सभी हित धारकों में प्रशिक्षण, एक्पोजर दौरे या क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव आर्थिक लाभ को बढ़ावा मिलेगा।

(15) वित्तीय/बैंककारी संस्थानों के लिए एजेन्ट या बैंक मित्र/व्यवसायिक अभिकर्ता/व्यवसायिक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करना।

(16) सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए तथा माइक्रो बीमा/बीमा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना।

(17) कार्य क्षेत्र में सहकार आधारित गतिविधियों में युवाओं और महिलाओं के समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना और प्रोत्साहित करना;

(18) सदस्यों को शिक्षा (विद्यालय, महाविद्यालय), स्वास्थ्य (अस्पताल, औषधालय, नैदानिक प्रयोगशाला, एम्बुलेंस सेवा), पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में तथा संधारणीय विकास गतिविधियों के क्षेत्र में समुदाय-आधारित सेवाएं प्रदान करना;

(19) कार्य क्षेत्र में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाओं में भाग लेना;

(20) विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूचना/डेटा केंद्र के स्रोत के रूप में कार्य करना;

(21) समिति के कार्य क्षेत्र में आनलाइन/डिजिटल सेवाओं की सुविधा के लिए एक कामन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करना;

(22) समिति के सदस्यों के लाभ के लिए अपने कार्य क्षेत्र के बाहर विपणन और समान कार्य कलाप करना ।

(23) भूमि, भवनों, गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों और ऐसी अन्य आवश्यक संपत्तियों का स्वामी होना;

(24) आम निकाय द्वारा समिति के सदस्यों का लाभ के लिए स्वीकृत ऐसे अन्य कार्यकलाप करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल और प्रासंगिक हैं।

(25) ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूंजी का प्रबन्ध करना, जिला सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य सरकार, अन्य संस्थाओं एंव व्यक्तियों से ऋण तथा अमानतें प्राप्त करना।

(ब) गौण--

(1) उन्नतिशील ढंग से खेती की नयी-2 विधियों को अपनाने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहन देना तथा उनकी सहायता करना, सदस्यों में कृषि की उन्नतिशील विधियों के प्रदर्शन के लिए भूमि मोल लेना या पट्टे पर प्राप्त करना।

(2) सदस्यों तथा उनके परिवार के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति के लिए निम्नलिखित कार्य करना :-

(क) पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना।

(ख) खेलों का आयोजन।

(ग) नाटक, प्रदर्शनी तथा गोष्ठियों का आयोजन।

(घ) औषधियों तथा स्वास्थ्यप्रद आदतों द्वारा जन-स्वास्थ्य की उन्नति की व्यवस्था।

(3) सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा की व्यवस्था करना, सहकारिता का प्रचार करना तथा सदस्यों में स्वावलम्बन की भावना को बढ़ाना।

(4) कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना तथा ऐसे अन्य उद्योगों के लिए सदस्यों को प्रोत्साहन देना तथा उनकी सहायता करना जिससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो।

(6) स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विविधिकृत व्यवस्था करना।

(7) अपने सदस्यों की सहायता के लिए कृषि उत्पाद और उसके उत्पादों के बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज से संबंधित कोई भी गतिविधि;

(8) कृषि उत्पादन और उसके प्रसंस्करण, सदस्यों की अपेक्षित घरेलू उपभोग के आधार पर संबंधित प्राधिकारी की आवश्यक विनियामक स्वीकृति के अधीन ऋण सुविधाएं।

(9) सहायक ईकाइयों के लिए आस्ति सृजन या व्यवस्था या स्थापना जो समिति के सदस्यों लिए उत्पादन, संग्रह, प्रसंस्करण और उत्पादन विपणन के लिए लाभदायी हो।

(10) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति आदि जैसी सेवाओं या व्यवसाय संचालन में संलग्न होना;

(11) अनुसंधान, प्रोत्साहन, अभिनव तकनीकी का प्रदर्शन और विस्तारण कार्य (मृदा और कृषि उत्पाद परीक्षण शामिल) तथा उससे सम्बद्ध कार्य कलाप।

(12) जागरूकता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कौशल विकास, मेलों और प्रदर्शन या कोई विस्तारण संबंधित कार्य;

(13) संबंधित सरकार से आवश्यक अनुमोदन से सरकारी विभागों/विश्वविद्यालयों/स्टार्टअप/सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों और उनके सम्बद्ध/बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग, जो सोसायटी और इसके सदस्यों के लिए लाभदायी हो;

(14) जहॉं तक संभव हो आनलाइन मोड में सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की वेबसाइट का अनुरक्षण;

(15) स्थानीय स्तर सेवा प्रदायकर्ता के कार्य हेतु एक या अधिक श्रमिक समूह का गठन

करना, जिसमें कुशल एवं अकुशल श्रमिक होगें। प्रत्येक समूह में श्रमिको की अधिकतम संख्या 50 तक होगी तथा जिसमें अधिकतम 10 कुशल श्रमिक होगे।

(16) उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य और अपेक्षित अन्य व्यवसाय या वित्तीय सहयेाग;

सदस्य

5- समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) साधारण सदस्य -

(1) व्यक्ति

(2) राज्य सरकार

(3) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक

(4) कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो।

(ख) नाममात्र सदस्य -

वह व्यवसायिक बैंक एवं अन्य संस्था जिससे समिति निबन्धक की अनुमति से ऋण लें, सम्बद्ध संगठन श्रम समूह समिति के नाममात्र सदस्य हो सकते हैं। ऐसे सदस्यों को भी 50 रूपये प्रवेश शुल्क होगा।

6- कोई व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित्त का हो और अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिए अनर्हित न हो, अनुन्मुक्त दिवालिया न हो, समिति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहता हो और स्थायी रूप से व्यापार करता हो या भूमि का स्वामी हो या कृषि करता हो या भूस्वामी होने अथवा न होने पर समिति में घन जमा करना चाहता हो, समिति का साधारण सदस्य बन सकता हैः परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बहु-उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स)/बहु-उद्देशीय लैम्प्स का पहले से ही सदस्य हो तो वह निबन्धक की स्वीकृति के बिना इस समिति का सदस्य बनने का पात्र न होगा।

7- राज्य सरकार अथवा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक-----------समिति के सदस्य हो सकते हैं यदि वह समिति में उतने मूल्य के अंश जो कि संचालक मण्डल विनिश्चय करे, क्रय करने व उसका पूरा मूल्य चुकाने के लिए तैयार होंः प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समिति की अभिदत्त पूंजी का 25 प्रतिशत से अधिक का विनिवेश नहीं करेगी।

8- नियम 38 के अनुसार सदस्य बनने के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र समिति के सचिव को दिया जायेगा। सचिव का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रार्थना-पत्र को शीघ्रातिशीघ्र संचालक मण्डल के सम्मुख इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए रखें। प्रत्येक प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णन किया जायेगा कि प्रार्थी किसी ऋण देने वाली बहु-उद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स)/बहु-उद्देशीय लैम्प्स का पहले से सदस्य हैं अथवा नहीं? यदि हैं तो उस समिति का नाम व पूरा पता भी लिखा जायेगा।

समिति में नए सदस्य बनने हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ के0वाई0सी0 भी उपलब्ध करानी होगी। प्रार्थना-पत्र आन लाइन भी दिया जा सकता है।

9- संचालक मण्डल इस सम्बन्ध में सदस्यता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर

नाममात्र व सम्बद्ध सदस्य की दशा में तथा अन्य दशा में 35 दिन के भीतर आवश्यक निर्णय लेगा तथा निर्णय की तिथि से 7 दिन में प्रार्थी को सूचित करेगा। जब तक इस अवधि में ऐसा करना अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्भव न हो। यदि सदस्यता के आवेदन-पत्र प्राप्त होने के नाम मात्र या सम्बद्ध सदस्य की दशा में साठ दिन के अन्दर कोई निर्णय नहीं लिया और प्रार्थी को सूचित नहीं किया गया तो यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित सदस्य का आवेदन पत्र अस्वीकार हो गया है।

10- सदस्यता के अस्वीकार किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा 98 के अन्तर्गत अपील की जा सकती है।

11- प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को 50 रूपये प्रवेश शुल्क देना होगा, जिसे किसी भी दशा में सदस्य वापस पाने का अधिकारी न होगा।

12- सदस्य बनने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक घोषणा पत्र (प्रपत्र 'अ') पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह वर्तमान उप-विधियों और उसकी सदस्यता के काल में उनमें नियमानुसार किये गये संशोधनों या परिवर्तनों से बाध्य होगा। ऐसे घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होंगे। जो व्यक्ति समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण सदस्य बन चुका है, उसे भी समिति के निबन्धन होने के पश्चात् एक मास के भीतर ऐसे घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे अन्यथा वह निष्कासन का पात्र होगा।

13- कोई व्यक्ति सदस्यता के किन्ही अधिकारों का उपयोग न कर सकेगा जब तक वह उपरोक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर देगा और जब तक उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो, जो नियमों तथा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

14- समिति का कोई सदस्य जो भर्ती की तिथि से कम से कम एक वर्ष तक समिति का सदस्य रह चुका है यदि वह समिति का ऋणी नहीं है या वह ऐसे ऋण का जो अभी चुकता नहीं हुआ है, जामिन नहीं है, समिति को एक मास की नोटिस देकर समिति की सदस्यता से पृथक हो सकता है। नोटिस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने सदस्यता छोड़ दी और अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, वह अपने अंशों के सम्बन्ध में, समिति द्वारा उसे देय धनराशियों की वापसी का अधिकारी होगा।

15- समिति की मांग पर हर सदस्य को अपनी पूंजी, ऋण अथवा अन्य किसी जिम्मेदारियों की पूरी व सही सूचना देनी होगी।

16- कोई सदस्य समिति की सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदिः-

(1) उसने सदस्यता के लिए, अधिनियम, नियमों और इन उप-विधियों में अपेक्षित अर्हताएं पूरी न कर ली हों अथवा उसने कोई अयोग्यता अर्जित कर ली हो।

(2) वह अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो।

(3) वह विकृत चित्त हो जाय।

(4) उसकी सदस्यता नियम 8 के खण्ड (ख) के उपबन्धों से असंगत हो।

(5) वह समिति के निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयानुसार योगदान, अंशदान, यदि कोई हो, सहित किसी बकाये का भुगतान का चूककर्ता हो और भुगतान की नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर भुगतान न किया हो।

(6) वह ऋण देने के व्यवसाय में हो।

(7) वह किसी सहकारी बैंक/सहकारी वित्त संस्थान/सहकारी संस्था का चूककर्ता हो।

(8) वह समिति की किसी भी सेवा या उत्पादों का प्रयोग नहीं करता हो और आम निकाय में लगातार 03 वर्षो से अनुपस्थित हो बशर्ते समिति निष्क्रिय न हो।

17- कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निकाला जा सकता है, यदिः-

(1) उसने समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या समिति की किसी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई हो और ऐसे अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन उसको दण्ड मिला हो;

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त उत्पन्न अनर्हता अपील में विमुक्त पर और दोष सिद्ध की दशा में, यथास्थिति दण्ड पूरा कर लेने पर तथा अर्थ दण्ड भुगतान कर देने पर, समाप्त हो जायेगी।

(2) उसने समिति की उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचाई हो।

(3) समिति की उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में किसी सदस्य द्वारा की गयी घोषणा असत्य पायी जाये अथवा घोषणा किसी सारवान सूचना को दबाने के कारण दोषपूर्ण हो और ऐसी असत्य या दोषपूर्ण घोषणा के कारण सदस्य को समिति से अनुचित लाभ हुआ हो, अथवा उससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाईयां हुई हों।

18- किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उपर्युक्त उप-विधियों के अधीन हटाया या निकाला जाना हो, संचालक मण्डल नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसे समिति की सदस्यता से यथास्थिति हटा या निकाल दिया जाये? यदि नोटिस का उत्तर निर्दिष्ट समय के भीतर न दिया हो अथवा प्राप्त उत्तर, संचालक मण्डल की राय में असंतोषजनक हो तो, उक्त सदस्य संचालक मण्डल द्वारा उपर्युक्त उप-विधियों में उल्लिखित नोटिस की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के द्वारा पारित संकल्प से, यथास्थिति हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा। उपयुर्क्त प्रयोजन के लिए बुलाई गयी संचालक मण्डल की बैठक की कार्यसूची की एक प्रतिलिपि उस सदस्य को भेजी जायेगी, जिसे हटाना या निकालाना हो और सम्बद्ध सदस्य को ऐसी बैठक के समक्ष यदि वह ऐसा करना चाहे, स्वंय अपने मामले के बारे में कहने का अधिकार होगा।

19- उपयुर्क्त आधार पर निकाले हुए सदस्य को अधिनियम की धारा 98 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को अपील करने का अधिकार होगा।

20- उपर्युक्त उपविधि के अन्तर्गत तथा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन निकाला गया समिति का कोई सदस्य उस दिनांक से, जब निकाले जाने का संकल्प अथवा आदेश प्रभावी हो, 2 वर्ष की अवधि तक फिर से सदस्य बनने का पात्र न होगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिए समिति के अधीन कोई पद धारण करने अथवा उसके

संचालक मण्डल में निर्वाचन के लिए खड़े होने का भी पात्र न होगा।

21- समिति के हटाये या निकाले हुय सदस्य पर यदि समिति का कोई ऋण अथवा और कोई पावना शेष हो तो समिति उस ऋण अथवा पावने को एक ही बार में वसूल करने की कार्यवाही कर सकती है।

22- किसी सदस्य की सदस्यता समिति से समाप्त हो जायेगी--

(1) उसके मर जाने पर;

(2) समिति से हटाये या निकाले जाने पर;

(3) सदस्यता से स्वयं हट जाने पर;

(4) उसके समस्त हिस्से वापस होंगे, हस्तांतरण होने या जब्त कर लिये जाने पर।

(5) संचालक मण्डल की बैठक में अंगीकृत संकल्प द्वारा ही सदस्यता की वापसी हो सकती है। ऐसे सभी संकल्पों को आम निकाय के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई सदस्य समिति को सभी बकायों का भुगतान और जमानतदार के रूप में सम्पूर्ण देनदारी, यदि कोई हो, पूरी कर चुका हो तो वह अपनी सदस्यता वापस ले सकता है। बशर्ते की उस सदस्य को संचालक मण्डल को एक महीने की नोटिस और सदस्यता वापसी का कारण बताते हुए लिखित अनुरोध देना अपेक्षित है। सदस्यता की वापसी/समाप्ति से सदस्य के रूप में उस पर किसी वित्तीय या अन्य देनदारियों से वह मुक्त नहीं हो सकता है।

23- प्रत्येक सदस्य को जो सदस्यता से हटा दिया गया हो या निकाल दिया गया हो मर गया हो और उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं बनाया गया हो, उसके अंश का रूपया तब तक वापस नहीं किया जायेगा, जब तक की समिति का वह सभी ऋण, जो उसे स्वयं देना है या किसी की जमानत करने के उपलक्ष्य में देना है, चुकता नहीं हो जाता और अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट अवधि बीत न गयी हो।

दायित्व

24- राज्य सरकार/बैंक को छोड़कर सदस्यों का दायित्व उसके अंश की नामी कीमत के 5 गुने तक सीमित रहेगा। राज्य सरकार/बैंक का दायित्व उनके अंश की नामी कीमत तक सीमित रहेगा, यदि कोई अंश उनका समिति में हो।

पूंजी

25- समिति की पूंजी निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैः-

(क) अंश पूंजी

(ख) ऋण एंव जमानतें,

(ग) अनुदान और दान

(घ) रक्षित निधि, अन्य निधियां तथा लाभ

(ड.) प्रवेश शुल्क

(च) जमा राशियॉ- समिति केवल अपने सदस्यों से ही जमाराशि स्वीकार करेगी और

जमाराशियों पर देय ब्याज दर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के तद्नुरूपी जमा ब्याज दर से 02 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। समिति संचालक मण्डल की स्वीकृति से अलग जमा नियम और योजनाएं बनायेगी।

अंश, उनका मूल्य, दिया जाना (एलाटमेन्ट) और भुगतान

26- समिति के अंश निम्न प्रकार के होंगे-

(1) 'क' श्रेणी के अंश- सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम 2 अंश (प्रति अंश 100/-रू0) कुल 200 रू0 का अभिदान करना होगा। यह अंश व्यक्तिगत सदस्यों एंव कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहें वह निगमित हो या न हों, द्वारा क्रय किये जायेंगे। प्रत्येक अंश को एलाट करते समय सम्बन्धित सदस्य को 10 रूपये एलाटमेंट शुल्क/व्यय देना होगा;

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक के निर्देश पर अथवा सामान्य निकाय द्वारा स्वयं प्रति अंश की धनराशि समय-समय पर बढ़ायी जा सकती है, जो कि बढ़ाये जाने के निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा और इस बढ़ायी गयी तिथि के पश्चात् बनने वाले नये सदस्य को ही उक्त बढ़ायी गयी अंश की धनराशि देनी होगी।

(2) 'ख' श्रेणी के अंश- यह अंश केवल राज्य सरकार द्वारा सीधे अथवा सहकारी बैंक द्वारा लिये जा सकते हैं। ऐसे अंश उन शर्तों के अनुसार लिये जा सकेंगे, जो समिति के संचालक मण्डल और राज्य सरकार अथवा सहकारी बैंक के बीच में तय हो। इन्हीं शर्तों के अनुसार इस अंशों की पूंजी लौटायी जायेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समिति की अभिदत्त पूंजी का 25 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेगी।

27- प्रत्येक सदस्य कम से कम दो अंश अवश्य क्रय करेगा, परन्तु कोई सदस्य कुल अंश की पूंजी के दसवें भाग से अधिक के अंश न क्रय करेगा न धारित करेगा।

28- प्रार्थी या उसके प्रतिहस्ताक्षरित सदस्यता के आवेदन पत्र के आधार पर अंश दिये जाते ही आवेदक समिति का सदस्य मान लिया जायेगा।

29- प्रत्येक व्यक्ति जो, समिति का कम से कम 5 अंश लेता है, वह बिना किसी व्यय के अंश का प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी होगा और उसमें दिये गये अंश की संख्या और चुकाये गये धन का उल्लेख होगा।

30- यदि संचालक मण्डल को यह समाधान हो जाये कि अंश का प्रमाण पत्र फट गया है, नष्ट हो गया या खो गया है तो वह 20 रूपया लेकर प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति निर्गत कर सकता है।

31- किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से मिलने वाले ऋण के सम्बन्ध में उक्त सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के अंश या पूंजी पर, उसकी अमानतें तथा उसको मिलने वाले लाभांश या अधिलाभांश (बोनस) या लाभ पर समिति का प्रथम प्रभार होगा। ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या उसके उत्तराधिकारी को 15 दिन का नोटिस देकर उसके खाते मे जमा अथवा उसको मिलने वाली देय धनराशियों को समिति किसी भी ऋण अथवा उसके वाजिब धनराशि के भुगतान में मुजरा कर सकती है।

32- किसी अंश पर उस व्यक्ति के, जिसके नाम सदस्य के रूप में वह अंश पंजीबद्ध है, सर्वाधिकार के अतिरिक्त किसी हित अथवा अन्य किसी प्रकार के अधिकार को मान्यता देने के लिए समिति बाध्य न होगी।

सदस्य को उत्तराधिकारी नामांकित करने का अधिकार

33- समिति का कोई सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, समिति की पूंजी में उसका अंश या हित संक्रमित किया जायेगा अथवा उसके मूल्य का या समिति द्वारा उसे देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नामांकन न किये जाने की दशा में सदस्य का अंश या समिति में अन्य हित ऐसे व्यक्ति को चुका दिये जायेंगे या हस्तांतरित कर दिये जायेगें, जिसे संचालक मण्डल नियमों के अधीन उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि समझे;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई हस्तांतरण तब तक नहीं होगा, जब तक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि, यथास्थिति समिति' का सदस्य न बना लिया जाये।

34- जब कि कोई अन्य सदस्य उसके द्वारा धृत अंशों के सम्बन्ध में से एक से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करें तो वह जहां तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण अंशों के रूप में प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाने वाली या संक्रमित की जाने वाली धनराशि को उल्लिखित करेगा।

35- (1) सदस्य द्वारा किया गया हर नामांकन दो साक्षियों द्वारा प्रमाणित तथा लिखित होगा और सदस्य के जीवनकाल में समिति को सौंप दिया जायेगा। सदस्य द्वारा किया गया नामांकन इसी भांति अन्य नामांकन करके रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है।

(2) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने किसी मृत सदस्य के अंशों या हिस्सों को सामूहिक रूप से दायाद या विधिक प्रतिनिधि के रूप में उत्तराधिकार में प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्ति भी समिति के सदस्य बनाये जा सकते हैं;

परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सामूहिक उत्तराधिकार की दशा में, इस प्रकार के व्यक्ति अपने में से किसी व्यक्ति को घोषणा पत्र (प्रपत्र 'ब') द्वारा नामनिर्दिष्ट करेंगे, जो सदस्यता के समस्त अधिकारों का प्रयोग करने लिए सक्षम होगा। इस प्रकार नाम-निर्देशन के पश्चात् समिति अंश प्रमाणपत्र में नामों को इस प्रकार अंकित करेगी कि ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम सामूहिक धारकों की सूची में क्रम संख्या-1 पर रहेगा।

36- अंश के स्पष्ट कानूनी स्वत्वाधिकारी द्वारा दिये गये या होने वाले हस्तांतरण को पंजीबद्ध करने या किसी हस्तांतरण को क्रियात्मक रूप देने या ऐसा ही कार्य करने के परिणाम स्वरूप समिति पर उन व्यक्तियों के प्रति जो अंश में किसी सामान्य अधिकार अथवा हित का दावा करते हों, कोई उत्तराधिकार न होगा, भले ही ऐसे अंश पर समिति को इसी भांति के अधिकार व हित का दावा करने वाले के द्वारा नोटिस मिल चुकी हो।

37- समिति के सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति को अंश का हस्तांतरण तब तक प्रभावी न होगा, जब तक कि :-

(1) वह अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अनुसार न किया जाय;

(2) समिति को लिखित रूप में नियमों में निश्चित अवधि का नोटिस न दिया गया हो, जिसमें प्रस्तावित संक्रामित का नाम, उसकी सहमति और सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र, जहां आवश्यक हो, और संक्रामित द्वारा भुगतान करने के लिए प्रस्तावित मूल्य इंगित हो;

(3) हस्तांतरणकर्ता समिति का कम से कम एक वर्ष तक सदस्य न रहा हो;

(4) समिति को देय, संक्रमणकर्ता के सभी दायित्व उन्मोचित न कर दिये जाये, और

(5) संक्रमण समिति की बहियों में निबद्ध न कर दिया जाय।

38- उपविधि 37 के अनुसार संक्रमित अंश पर समिति के पक्ष में कोई प्रभार तब तक बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रकार से उन्मोचित न कर दिया जाय।

उधार लेना

39- नियम 178 के अधीन समिति का अधिकतम दायित्व उसके वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में निश्चित किया जायेगा, किन्तु वह उसके स्वामित्वयुक्त पूंजी के दस गुने से अधिक न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति का अधिकतम दायित्व विशेष परिस्थितियों में निबन्धक की विशेष स्वीकृति से इस नियम के अधीन निश्चित सीमा से अधिक हो सकता है।

40- उपविधि 39 के अनुसार निश्चित अधिकतम दायित्व के अधीन समिति उस सीमा तक और उन शर्तों पर जिन्हें संचालक मण्डल उचित समझे, सदस्यों और गैर सदस्यों से जमानत लेकर धन एकत्र कर सकती है। समिति प्रामिजरी नोट जारी करके अथवा, भूमि, भवन या समिति की अन्य सम्पत्ति बन्धक रखकर अथवा ऐसे अन्य साधन से भी जिसे संचालक मण्डल उपयोगी समझे, धन एकत्र कर सकती है।

संगठन और प्रबन्ध

41- समिति के कार्यों का प्रबन्ध निम्नलिखित में होगा :-

(क) सामान्य निकाय,

(ख) संचालक मण्डल,

(ग) सभापति/उप सभापति,

(घ) सचिव।

42- सामान्य निकाय- समिति की सामान्य निकाय में निम्नलिखित होंगे :-

(1) नियमावली के नियम 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य, यदि कोई है,

(2) समस्त व्यक्तिगत साधारण सदस्य।

(3) कोई संगम या व्यक्तियों के निकाय का प्रतिनिधि

सामान्य बैठक

43- सामान्य निकाय की बैठक निम्न दो प्रकार की होगी :-

(क) वार्षिक सामान्य बैठक--

(अ) समिति प्रत्येक सहकारी वर्ष में, वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किये जाने और अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र 30 नवम्बर तक चाहे ऐसा लेखा परीक्षण किया गया हो या नहीं, अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक 30 नवम्बर के पश्चात् भी समिति को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक साधारणतया आगामी 30 अप्रैल तक करने की अनुमति दे सकते हैं और उस दशा में वार्षिक सामान्य बैठक उस बढ़ायी गयी अवधि के भीतर होगी। वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे;

(1) गत सहकारी वर्ष के रोकड़ पत्र, (बैलेन्स शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा में जबकि नियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

(2) नियम 92 के अनुसार गत सहकारी वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार, सिवाय उस दशा में जब नियत अवधि के भीतर लेखा परीक्षा पूरी न हुई हो।

(3) आगामी सहकारी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।

(4) शुद्ध लाभ का निस्तारण।

(5) आगामी सहकारी वर्ष के बजट और कार्यक्रम पर विचार।

(6) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाय।

(7) सदस्य का निष्कासन यदि नियमानुकूल हो तो।

(8) सामान्य निकाय की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय करने पर विचार।

(ब) अधिनियम की धारा 31 में किसी बात कि होते हुए भी सभापति की अनुमति से सचिव का और सचिव की अनुपस्थिति में सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपरोक्त उप धारा 'अ' के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक बुलायें और ऐसा न करने पर निबन्धक या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत, व्यक्ति वार्षिक, सामान्य बैठक बुला सकता है।

(स) यदि समिति की वार्षिक सामान्य बैठक लेखों के परीक्षण होने के पूर्व किसी वर्ष में नियम 91 के अधीन हो, तो उपरोक्त उपविधि के उपधारा (1), (2) और (4) में उल्लिखित विषयों पर समिति की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विचार किया जायेगा।

(ख) अन्य सामान्य बैठकें :-

(अ) संचालक मण्डल समिति के कार्य सम्पादन के लिए जब-जब आवश्यक हो, समिति की सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा) बुला सकता है।

(ब) संचालक मण्डल, निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों का लिखित अधियाचन प्राप्त हो जाने के पश्चात एक मास के भीतर समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक (जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायेगा) बुलायेगा। संचालक मण्डल के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिसका वह निर्देश दे, असाधारण सामान्य बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

(स) सदस्य द्वारा असाधारण सामान्य निकाय की बैठक के मांग पत्र पर प्रस्तावित बैठक का उद्‌देश्य लिखा जायेगा और उसे समिति के पंजीबद्ध कार्यालय में दिया जायेगा।

44- (अ) सामान्य निकाय की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन की सूचना आवश्यक होगी। आगे बतायी गयी परिस्थितियों के अतिरिक्त बैठक की नोटिस दिन, स्थान और समय तथा उसमें की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देते हुए प्रत्येक सदस्य को सूचना निम्नलिखित किसी भी प्रकार से दी जायेगी :-

(1) समिति के कार्यक्षेत्र में ढिंढोरा पिटवाकर,

(2) समिति के कार्यक्षेत्र में कार्यक्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान तथा समिति के कार्यालय पर सूचना की नोटिस चिपकाकर,

(3) नोटिस की किताब को सदस्यों के पास भेजकर उनके हस्ताक्षर कराकर या नोटिस को सार्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग द्वारा सदस्यों को डाक द्वारा भेजकर।

(ब) यदि नोटिस द्वारा सूचना देने में कोई त्रुटि रह जाये तो सामान्य निकाय की कार्यवाही अवैधानिक नहीं होगी।

(स) सदस्यों की मांग पर ही सामान्य निकाय की बैठक की सूचना में निर्दिष्ट विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पर विचार होगा। अन्य बैठकों में सभापति, सदस्यों की मांग पर उन विषयों पर भी विचार की अनुमति दे सकता है, जो विचाराधीन विषयों में सम्मिलित नहीं हैं।

45- बैठक के लिए गणपूर्ति :-

(अ) सामान्य निकाय के सदस्यों का 1/5 अथवा 50 सदस्य, जो भी कम हों सामान्य निकाय की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) होगी।
सामान्य निकाय की बैठक में सदस्य आन-लाइन भी प्रतिभाग कर सकता है।

(ब) यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उस तिथि और समय के लिए स्थगित समझी जायेगी, जैसा उपस्थित सदस्य विनिश्चय करें। ऐसी स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति, सामान्य निकाय के सदस्यों के 1/10 या 25 सदस्य, जो भी कम हों, से होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के अधियाचन पर बुलाई गयी है तो वह निश्चित समय से एक घण्टे के भीतर गणपूर्ति के अभाव में विखण्डित हो जायेगी।

46- बैठक का सभापतित्व -

प्रत्येक बैठक का सभापतित्व सभापति करेगा, उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य, अपने में से किसी एक को बैठक का सभापति चुनेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उपसभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा, जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

47- बैठक में विषयों का निस्तारण :-

(अ) किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे (प्रतिबन्ध यह है कि संचालक मण्डल को कोई सदस्य किसी बैठक में ऐसे विषय पर मतदान न करेगा, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो), जब तक

अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हो। किसी संकल्प को पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ब) जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में से किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाय तो सभापति संकल्प पर मतदान करा सकता है।

(स) प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य, प्रतिनिधि अथवा किसी सदस्य का नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को एक से अधिक और दूसरे के माध्यम से मतदान की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

संचालक मण्डल

48- साधारण सदस्यों के कुल 9 संचालक होंगे, जिसमें नियम 393 के अधीन कम से कम चार संचालक आरक्षित वर्ग के होंगे जिनमें एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, एक अन्य पिछड़े वर्गो तथा दो महिलाओं के वर्ग के होगें।

49- संचालक चुने जाने एंव बने रहने की अनर्हता :-

(अ) कोई व्यक्ति समिति के संचालक मण्डल का न तो सदस्य चुना जायेगा न बना रहेगा यदि-

(1) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो,

(2) वह दिवालिया घोषित हो,

(3) वह विकृत चित्त हो,

(4) उसे निबन्धक की राय में नैतिक पतन सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि अपील में रद्द न की गयी हो,

(5) वह, निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य, निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्य क्षेत्र के भीतर, उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करें या करता हो जैसा समिति करती हो,

(6) वह अधिनियम, या नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा करे,

(7) वह समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो,

(8) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो,

(9) वह अधिनियम व नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो,

(10) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन कोई आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो,

(11) यदि वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में नियमों के निर्धारित अवधि से अधिक का बकायादार हो या ऐसे बकायादार जमानती हो,

(12) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक, एक केन्द्रीय और एक शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक

सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा। ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक मास के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा कि उसने एक शीर्ष समिति और एक केन्द्रीय समिति और एक प्राथमिक समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त समिति से त्यागपत्र दे दिया है।

(13) वह राजकीय सेवा या किसी समिति की सेवा अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचार या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो,

(14) वह किसी ऐसी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो कि समिति का निबन्धन कपटपूर्ण कराया गया हो और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो,

(15) यदि उसके विरूद्ध समिति ने किसी बकाया के सम्बन्ध में या अन्य प्रकार से कोई एवार्ड लिया हो, और उस एवार्ड का समाधान न हो गया हो,

(16) वह अधिनियम, नियम या इन उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(17) यदि कोई व्यक्ति प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा समिति में जमा धनराशि रूपये एक हजार से कम हो गयी हो।

(ब) बिना किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, जो प्रबन्ध कमेटी के तीन लगातार बैठकों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के लिए निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होंगे।

(स) कोई व्यक्ति जो समिति की संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु निर्वाचन में हार जाय, आमेलन या नाम-निर्देशन द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(द) उपविधि 49 के खण्ड (अ) के अधीन निर्धारित अर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगीः-

(1) उक्त उपविधि के खण्ड (8) में निर्धारित अनर्हता संचालक मण्डल के किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य पर लागू न होगी।

(2) उक्त उपविधि के खण्ड (4) या खण्ड (13) में निर्धारित अनर्हता, दोष सिद्ध के अधीन, अर्थदण्ड देने या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युत के आदेश के यथास्थिति 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायेगी।

(य) ज्यों ही संचालक मण्डल का कोई सदस्य नियमों अथवा उपविधि में उल्लिखित अनर्हता में से कोई अर्जित कर लेता है तो संचालक मण्डल उस तथ्य पर इस उद्‌देश्य के लिए बुलाई गयी बैठक में विचार करेगा। ऐसी बैठक की कार्यसूची की एक प्रति उस संचालक को, जिसके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव हो, रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) भेजी जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता/अनर्हताओं के कारण संचालक मण्डल की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाये तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) भेजी जायेगी। तदुपरान्त ऐसे व्यक्ति को संचालक मण्डल अथवा उसकी किसी उप समिति की बैठक में भाग लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे व्यक्ति का पद रिक्त समझा जायेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम और नियमों के अधीन मध्यस्थ निर्णय करा सकता है।

50- संचालक मण्डल का कार्यकाल :-

(1) नियम 406, 433, 434, और 435 में अन्यथा की गयी व्यवस्था के सिवाय समिति के संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सदस्य तब तक पदभार ग्रहण किये रहेंगे, जब तक उनके उत्तराधिकारी अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अधीन निर्वाचित न हो जायें अथवा यथा समय निर्वाचन न होने के कारण निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा-29 (4-ख) के अन्तर्गत अन्तरिम प्रबन्ध समिति गठित न कर दी जाय।

(2) प्रबन्ध कमेटी का कोई नाम निर्दिष्ट संचालक अधिनियम एवं नियमों के अधीन तब तक पद धारण करेगा, जब तक नाम निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी की इच्छा हो।

51- संचालकों में आकस्मिक रिक्तियों की पूर्तिः-

यदि संचालक मण्डल में निर्वाचित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो नियम 393 के अधीन आरक्षित संवर्ग के संचालक को छोड़कर ऐसी रिक्ति को शेष सदस्यता द्वारा उन व्यक्तियों में से संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए पात्र हों, नियम 450 के अधीन आमेलन द्वारा पूरा किया जायेगा। ऐसा आमेलन संचालक मण्डल के कार्यकाल तक वैध होगा।

52- संचालक मण्डल की बैठकः-

(अ) संचालक मण्डल, समिति का कार्य करने के लिए बैठक कर सकता है, उसे स्थगित कर सकता है और यदि वह उचित समझे तो बैठक का नियंत्रण कर सकता है। संचालक मण्डल की किसी बैठक में उठे प्रश्नों पर निर्णय बहुमत द्वारा होगा। समान मत होने पर सभापति को द्वितीय/निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

समिति का संचालक मण्डल व्यवसायिक कार्यो की निगरानी हेतु तीन माह में न्यूनतम एक बैठक करेगा।

(ब) यदि किसी बैठक में कोई सदस्य बहुमत की राय से मतभेद रखता है तो वह अपने मतभेद को कार्रवाई पुस्तिका में लिपिबद्ध करने के लिए आग्रह कर सकता है, जिसे सभापति को लिपिबद्ध कराना होगा।

53- संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति :-

संचालक मण्डल की बैठक की गणपूर्ति पांच संचालको से होगी। संचालक मण्डल की बैठक के लिए 7 दिन का नोटिस आवश्यक होगा, परन्तु विशेष परिस्थिति में इससे कम अवधि की नोटिस पर भी संचालक मण्डल की बैठक बुलाई जा सकती है।

54- संचालक मण्डल के साधारण अधिकार :-

समिति के कारोबार का संचालन और प्रबन्ध, संचालक मण्डल द्वारा होगा, जिसे अधिनियम और नियमों तथा इन उपविधि के अन्तर्गत ऐसे सभी समझौते करने ऐसी सभी व्यवस्था करने, ऐसी सभी कार्रवाईयां करने तथा ऐसे सारे कार्य करने का अधिकार और उन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होगा जो समिति के कार्यों का उचित प्रबन्ध करने तथा जिन उद्देश्यों से समिति की स्थापना हुई है, उनकी पूर्ति एंव समिति के हित तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक एंव उचित हो।

55- संचालक मण्डल के स्पष्ट अधिकार :-

इन उपविधियों द्वारा समर्पित आम अधिकारों की उपेक्षा किये बिना संचालक मण्डल के निम्नलिखित स्पष्ट अधिकार और कर्तव्य होंगे:-

(1) नियमों के अधीन सदस्यों को ऋण या अग्रिम देना, ऋण और अग्रिम की प्रतिभूति स्वीकार करना, व्यक्तिगत चल या अचल सम्पत्ति अथवा अधिकार पत्र (दस्तावेज) प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करना,

(2) समिति हेतु निबन्धक के विशेष तथा साधारण आदेशों के अन्तर्गत अमानतें तथा ऋण प्राप्त करना,

(3) वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में समिति का वार्षिक प्रतिवेदन, सन्तुलन-पत्र, आगामी वर्ष के लिए बजट व कार्यक्रम, अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्राविधान तथा लाभ वितरण के सम्बन्ध में संस्तुति प्रस्तुत करना,

(4) नियम 176 के उपबन्धों का पालन करते हुए समिति का कारोबार चलाने के लिए कोई भूमि या भवन (चाहे फ्री होल्ड हो या लीज होल्ड अथवा अन्य प्रकार का हो) क्रय करना, लीज पर लेना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना,

(5) अधिनियम की धारा 31 तथा नियम 126 और अधिनियम की धारा 121 या 122 के अधीन बने विनियम के अधीन, सचिव की नियुक्ति करना, हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उसका पारिश्रमिक निश्चित करना, तथा उससे जमानत लेना,

(6) समिति के कारोबार के प्रबन्ध में सचिव की सहायता के लिये अधिनियम और नियमों के अधीन अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और लिपिकों की नियुक्ति करना, उन्हें हटाना, निलम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्डित करना और उनका पारिश्रमिक निश्चित करना,

(7) समिति के नगद धनराशियों और महत्वपूर्ण लेखों की अभिरक्षा, अनुरक्षण और उन्हें रखने का उचित प्रबन्ध करना,

(8) समिति द्वारा स्वीकृत या अभ्यर्थित अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त किसी पट्टे की शर्तों या समझौतों का पालन करना और लगान का समिति की ओर से भुगतान करना,

(9) यदि आवश्यक हो तो समिति के सभी या किसी भवन, आय अथवा अन्य सम्पत्ति या अन्य प्रतिभूति (सिक्योरिटी) का या तो अलग से मिलाकर उस अवधि और सीमा तक के लिए बीमा करना या उसे चालू रखना, जिसे संचालक मण्डल उचित समझे और अधिकार के अनुसार किये गये किसी बीमा या बीमा पत्र (पालिसी) को बेचना, अभ्यर्थित करना, समर्पित करना अथवा उसे चालू न रखना,

(10) किसी ऋण या स्वत्व का पारस्परिक निपटारा करना उसे मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजना अथवा किसी ऋणी को अपना ऋण चुकाने का समय देना,

(11) ऐसी सभी कार्रवाइयॉ और वाद, जिन्हें संचालक मण्डल चलाना या प्रतिवाद करना आवश्यक या उचित समझे, प्रारम्भ करना, चलाना, चालू रखना या प्रतिवाद करना या परस्पर समझौता करना या मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजना,

(12) समिति की ओर से बैंक में तथा किसी अन्य सहकारी संस्था में अंश खरीदना और प्रतिनिधि भेजना,

(13) कृषि सम्बन्धी वस्तुएं, घरेलू आवश्यकताओं का सामान तथा ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं को रखना, जिनके लिए साधारणतया मांग हो और उन्हें उतनी संख्या अथवा मात्रा में रखना कि वह जल्दी से बिक सकें,

(14) सदस्यों की उपज को सहकारी क्रय-विक्रय समिति अथवा ऐसी अन्य समिति द्वारा जिससे यह समिति लिखित वादा करे, बेचने के हेतु सदस्यों से इकरारनामा कराना,

(15) सदस्यों की कृषि उपज को सहकारी क्रय-विक्रय समिति द्वारा बिक्री कराने के लिए इकठ्ठा करना, श्रेणीवार छांट करना तथा क्रय-विक्रय समिति को भेजने के लिए परिवहन का प्रबन्ध करना,

(16) सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता, जैसे तकाबी, अनुदान आदि को नियमानुसार वितरण व उनकी वसूली की व्यवस्था करना,

(17) नियम 93 के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण तैयार करना,

(18) (क) नियम 64 के अधीन लिखित रूप से अनुरोध करने पर किसी एक या अधिक लेखों की प्रति एक रूपये प्रति पृष्ठ की दर से परन्तु कम से कम पांच रूपया शुल्क लेकर देना,

(ख) नियम 376 के अधीन समिति के लेखों तथा अभिलेखों, निरीक्षण रूपये 2000.00 शुल्क लेकर कराना,

(19) उप प्रतिबन्धों और शर्तों के अन्तर्गत जिन्हें संचालक मण्डल समय-समय पर लागू करना उचित समझे, तत्कालीन सचिव और समिति के अन्य अधिकारियों को कोई ऐसे अधिकार और कर्तव्य जो संचालक मण्डल को सौंपे गये हैं, कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत करना,

(20) उपयुर्क्त के अतिरिक्त समिति की प्रबन्ध कमेटी अधिनियम की धारा 29-क में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग एंव ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगी जो उसके कार्यकलापों से प्रयोजनार्थ आवश्यक एंव समीचीन हों।

(21) समिति के व्यवसायिक कार्यों व अपेक्षाओं के अनुसार संचालक मण्डल ग्राम समित, वित्त

और संपरीक्षण समिति, भर्ती/चयन/नियुक्ति समिति, युवा/महिला समिति, व्यवसाय/व्यापार संवर्धन और उद्यम/औद्योगिकीकरण समिति, सतत/सामुदायिक विकास समिति आदि जैसी उपसमितियों को गठन और उनकी शक्तियों व कार्यो का निर्धारण कर सकता है। समिति के सदस्यों को भुगतान की जाने वाली शुल्क और भत्ते का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। उपसमिति में लिए गए निर्णय/संकल्प केवल सुझावात्मक/अनुशंसनात्मक प्रकृति के होगें जिसपर निदेशक बोर्ड की बैठक में स्वीकृति के बाद ही कार्यवाही होगी।

56- संचालक मण्डल के कार्य की वैधता :-

(1) संचालक मण्डल के कार्य, संचालक मण्डल में रिक्त स्थान या किसी संचालक की योग्यता की त्रुटि पर विचार किये बिना, वैध समझे जायेंगे, मानो कोई स्थान रिक्त न था और संचालक की योग्यता में कोई त्रुटि न थी।

(2) समिति के कार्यो के संचालन में संचालक मण्डल विवेक और यथोचित परिश्रम का प्रयोग करेगा और समिति के नियमों, उपनियमों और उल्लिखित उद्देश्यों के उल्लंघन में किए गऐ किसी कृत्य के कारण हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगें।

57- बैठकों का स्थान :-

समिति की सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठक समिति के मुख्यालय पर होगी, परन्तु वार्षिक सामान्य बैठक किसी सार्वजनिक स्थान पर जो समिति के मुख्यालय के निकट हो, की जा सकेगी।

58- सभापति/उप सभापति :-

(अ) सभापति समिति के मामलों तथा कार्यों के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा संचालक मण्डल के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायेंगे। उपस्थित रहने पर वह नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा।

(ब) उप सभापति नियमों में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभापति द्वारा प्रदत्त लिखित ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में वह सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकों का सभापतित्व करेगा।

(स) समिति के सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा दोंनों की अनुपस्थिति अथवा दोनों पद रिक्त होने की दशा में सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उप सभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस दशा में नहीं करेगा, जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो, जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

(द) सभापति/उपसभापति के स्थान पर आकस्मिक रिक्ति होने पर निर्वाचन उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 यथा संशोधित नियमों में दी गयी व्यवस्था के अधीन होगा।

सचिव

59- सचिव समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और सभापति व संचालक मण्डल के ऐसे नियंत्रक और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुऐ जिनकी व्यवस्था नियमों या उपविधियों में की गयी है, वहः-

(1) समिति के कार्य के सम्यक प्रबन्ध और उसके कुशल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होगा।

(2) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेगा।

(3) संचालक मण्डल द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अधीन समिति के लेखों (एकाउण्ट) का परिचालन (आपरेट) करेगा।

(4) समिति की ओर से और उसके लिए सभी लेखों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें प्रमाणित करेगा।

(5) समिति की विभिन्न बहियों (रजिस्टरों) और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियमकालीन विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सचिव द्वारा निम्न बही खाता और लेखाओं तथा रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जायेगाः-

(क) वित्तीय विवरणियों से सम्बन्धित बही खाते

1-नकद बही खाता, 2- बैंक बही खाता, 3- दैनिक बही खाता, 4- सामान्य बही खाता, 5- सहायक बही खाता, 6- शेयर पूॅजी बही खाता, 7- जमाराशि बही खाता-बचत, सावधि जमा, आवर्ती जमा, पुनर्निवेश जमा, 8- उधार बही खाता-अल्पकालिक/ मध्यकालिक बही, 9-सदस्य बही खाता-अल्पकालिक, मध्यकालिक (कृषि और गैर कृषि) 10- विविध ऋण बही खाता 11-फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण रजिस्टर, 12- भूमि और भवन रजिस्टर 13-मूल्य ह्रास चार्ट रजिस्टर, 14-स्टॉक रजिस्टर, 15-खरीद रजिस्टर, 16 विक्रय रजिस्टर, 17-सेफ डिपोजिट लॉकर प्रचालन रजिस्टर, 18-स्वर्ण बही खाता, 19- विविध देनदार बही खाता, 20-सस्पेंस आस्ति बही खाता, 21-सस्पेंस देनदारी बही खाता, 22-लाभांश बही खाता

(ख) वित्तीय विवरण से असम्बन्धित बही खातेः-

1- समिति की उपनियमों की प्रति, 2-राज्य के अधिनियम और नियमों के साथ उसमे समाविष्ट संशोधन, 3-समिति द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय के अन्य नियम व विनियम की प्रतियॉ, 4- सदस्यता रजिस्टर, 5- वर्तमान वर्ष में मतदान अधिकार करने वाले सभी सदस्यों की अद्यातित सूची का रजिस्टर जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर तैयार किया गया हो, 6- समिति द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार संरक्षण दर्शानें वाला रजिस्टर, 7- कार्यवृत्त बही,8- खाता खोलने व बन्द करने का रजिस्टर, 9- सावधि जमा राशियों के परिपक्वता देय ऋण रजिस्टर, 10-मासिक ब्याज भुगतान रजिस्टर, 11-बीमा पालिसी और नवीनीकरण रजिस्टर, 12-स्वर्ण स्टाक रजिस्टर, 13-ऋण पावती रजिस्टर, 14-तुलन रजिस्टर, 15-निश्क्रिय जमा खाता रजिस्टर, 16- उधार देय तिथि रजिस्टर, 17- निवेश व परिपक्वता

रजिस्टर , 18- गिरवी रखे स्टाक रजिस्टर, 19- दायर वाद रजिस्टर, 20-डी0सी0बी0 रजिस्टर, 21- अतिदेय/एन0पी0ए0 रजिस्टर, 22-सम्परीक्षण रिपार्ट, जॉच रिपोर्ट और निरीक्षण और उसकी अनुपालना रिपोर्ट की प्रतियॉ, 23- सदस्यों की भूमि अभिलेख रजिस्टर, 24- स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर, 25- स्टाफ सेवा नियमावली, 26-कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली, 27-कर्मचारी सेवा पुस्तिका 28-अवकाश लेखा पंजिका।

(6) सभापति की अनुमति से अथवा नियमों में दी गयी व्यवस्था के अधीन सामान्य निकाय और संचालक मण्डल की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठकों के अभिलेख ठीक रखेगा।

(7) ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त किये जायें।

60- बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्ति :-

सभी बैठकों की कार्यवाहियों का कार्यवृत्ति, उस प्रयोजन के लिए रखी गयी पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगी और कार्यवृत्ति पर बैठक का सभापतित्व करने वाले और समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

61- भत्ते :-

समिति के सभापति, उप सभापति तथा संचालक मण्डल के सदस्यों को नियम 384, 385, 386, 387, 388 व 389 तथा अन्य नियमों के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

ऋण तथा अग्रिम

62- सामान्य नियम :-

(1) समिति से ऋण केवल सदस्यों को ही मिल सकेंगे। यदि किसी परिवार से एक से अधिक व्यक्ति समिति की सदस्यता के लिए पात्र है तो ऐसी दशा में परिवार के केवल एक ही सदस्य को ऋण दिया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि सह-अंश भागियों के रूप में किसी परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा धारित हो तो ऐसे सभी सह अंशधारक अपनी-अपनी भावी आश्यकतानुसार उपविधियों के अन्तर्गत ऋण पाने के लिए पात्र होंगे।

(2) संचालक मण्डल के सदस्यों पर लगे हुए ऋण की सूची वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु रखी जायेगी।

63- समिति निम्न प्रकार से ऋण देगी जो केवल सदस्यों को ही दिये जायेंगे :-

(1) अल्पकालीन ऋण (कृषि कार्यों के लिए)- इन ऋणों की अवधि 12 मास से अधिक न होगी। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 3 मास के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। यह ऋण कृषि कार्यों के लिए दिये जायेंगे। जिन सदस्यों को कृषि कार्य के लिए ऋण दिये जायेंगे उनसे समिति का इस आशय का इकरारनामा भरवायेगी कि वह अपने ऋण की अदायगी उस सहकारी क्रय विक्रय समिति अथवा समिति के क्रय केन्द्र या अन्य समिति के क्रय केन्द्र द्वारा जिससे समिति ने कोई प्रबन्ध किया हो, अपनी उपज बेचकर करेंगे। विशेष परिस्थितियों में ऐसे ऋण की वसूली नगदी में भी हो सकती है। बीज खाद तथा

कीटाणुनाशक औषधियों के लिए ऋण जहां तक सम्भव हो सकेगा, समान रूप से दिया जायेगा।

(2) अल्पकालीन ऋण (अन्य कार्यों के लिए)- यह ऋण सदस्यों को कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय, कुटीर उद्योगों के लिए यन्त्र तथा कच्चा माल खरीदने, साधारण व्यापार करने तथा अन्य ऐसे कार्यो के लिए ऐसी शर्तों पर जो समय-समय पर निबन्धक, निर्धारित करें, अधिक से अधिक 12 मास की अवधि के लिए दिये जायेंगे।

(3) वित्तपोषण बैंक/कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/राज्य और केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् दीर्घकालिक ऋण प्रदान करेगी।

(4) सुरक्षित ऋण- सुरक्षित निम्नलिखित जमानतों पर सदस्यों को निबन्धक द्वारा समय-समय पर लगाये गये प्रतिबन्धों के अनुसार दिया जा सकता है:-

(क) उधार लेने वाले की समिति में सावधि जमा की जमानत पर। यह ऋण उसकी सावधि जमा का 90 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ख) सरकारी आश्वासन पत्रों, प्रामिसरी नोट या उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0 के इकरारनामों या डिबेंचरों को गिरवी रखकर। इन कागजों की बाजारी कीमत का 90 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकता है।

(ग) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से या ऐसे नियमों का पालन करते हुए जो निबन्धक निर्धारित करें, सदस्यों की कृषि उपज की धरोहर पर।

64- ऋण की सीमा :-

अल्पकालीन ऋण देने की धनराशि सदस्यों की अंशपूंजी, फसलों के वित्तमान, उत्पादन आवश्यकता और ऋण अदा करने की क्षमता तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। नियम 192 के अधीन संचालक मण्डल प्रत्येक वर्ष एक ऐसी सीमा निश्चित करेगा, जिससे अधिक किसी समय किसी सदस्य पर कुल लगा हुआ ऋण न होगा।

65- ऋण की जमानत :-

अल्पकालीन एवं दीर्घ कालीन ऋण दो सदस्यों की जमानत पर दिये जायेंगे।

66- ऋण और अंश का अनुपात :-

समिति एंव सदस्य के मध्य ऋण एंव अंशदान का अनुपात, लघु एंव सीमान्त कृषकों को उनके जमा अंशधन का 20 गुना एंव अन्य कृषकों को उनके अंशधन का 10 गुना होगा।

67- ब्याज(सूद) की दर :-

समिति ऋण एंव जमाओं पर ब्याज की दर का निर्धारण नियम 193 के अधीन निबन्धक के निर्देशानुसार करेगी।

68- ऋण की अदायगी :-

(क) ऋण की अदायगी संचालक मण्डल द्वारा निश्चित की हुई किश्तों या तिथि तक अथवा मांग के सापेक्ष की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में संचालक मण्डल निबन्धक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किश्तों की तिथि/मांग

में संशोधन कर सकता है।

(ख) यदि संचालक मण्डल की राय में किसी सदस्य ने ऋण का उपयोग उस उद्देश्य में नहीं किया है, जिसके लिए उसने ऋण लिया था तो संचालक मण्डल को अधिकार होगा कि वह उससे कुल मांग/बकाया एक साथ वसूल ले।

69- कृषि सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्तिः-

(क) संचालक मण्डल सदस्यों के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का प्रबन्ध कर सकता हैः-

(1) कृषि की आवश्यकता की वस्तुऐं, जैसे-बीज, रासायनिक एंव जैविक खाद, कीटनाशक दवाएं, यन्त्र इत्यादि।

(2) कृषि उधोगों तथा कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित वस्तुएं।

(3) घरेलू उद्योग अथवा दैनिक आवश्यकता की वस्तुऐं, जिनके लिए सदस्य मांग करें अथवा जिनकी आवश्यकता दैनिक जीवन में साधारणतया पड़ती है।

(ख) उपरोक्त वस्तुओं के खरीदने में समिति अपनी पूंजी लगा सकती है, किन्तु समिति के पास किसी भी समय खरीदी हुई वस्तुओं के मौजूदा स्टाक का मूल्य बिना निबन्धक की स्वीकृति के उसके चुकता अशों की कीमत से अधिक न होगा।

उपज की बिक्री

70- संचालक मण्डल को अधिकार होगा कि वह सदस्यों को कृषि उपज एंव अन्य उत्पादन की बिक्री का प्रबन्ध किसी सहकारी क्रय विक्रय समिति अथवा समिति के क्रय केन्द्र द्वारा करे तथा सदस्यों की कृषि उपज को सहकारी क्रय-विक्रय समिति अथवा समिति के क्रय विक्रय द्वारा बिक्री कराने के लिए इकठ्ठा करने, श्रेणीवार छांटने तथा क्रय-विक्रय समिति अथवा समिति के क्रय केन्द्र को भेजने के लिए परिवहन का प्रबन्ध करे। विशेष परिस्थितियों में निबन्धक की अनुमति से संचालक मण्डल की अपने सदस्यों की उपज स्वंय बेचने का प्रबन्ध करने का अधिकार होगा। इस प्रकार का प्रबन्ध करने या कराने में संचालक मण्डल किसी हानि का भागीदार नहीं होगा। वह केवल अपने सदस्यों के एजेन्ट के रूप में काम करेगा।

गोदाम

71- (क) संचालक मण्डल सदस्यों की उपज को सुरक्षित रूप से रखने का प्रबन्ध या तो अपने गोदाम में अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर जहां उपज अच्छे मूल्य पर बिक सकती है, कर सकता है। संचालक मण्डल इस कार्य के लिए निबन्धक की स्वीकृति से स्वयं गोदामों का निर्माण करा सकता है, खरीद सकता है अथवा किराये पर ले सकता है। इन गोदामों में जो सदस्य अपनी उपज एकत्रित करेंगे, उनसे समय-समय पर निश्चित की हुई दर से किराया लिया जायेगा।

(ख) गोदाम निम्नलिखित साधनों से बनवाये जा सकते हैंः-

(1) इस कार्य के लिए प्राप्त सरकारी ऋण अथवा सहायता,

(2) सार्वजनिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा दान,

(3) समिति के भवन कोष में एकत्रित धन से,

(4) अन्य पूंजी से जो सदस्यों द्वारा इस हेतु एकत्रित की गयी हो।

सम्बद्ध संगठनों का संवर्धन

72- (1) समिति आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसान उत्पादन संगठन (FPO) जैसे सम्बद्ध संगठनों को अपनी उल्लिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकती है और आम निकाय की स्वीकृति पर ऐसे संगठन को तत्कालीन लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।

(2) समिति सम्बद्ध संगठन में कुल चुकता शेयर पूॅजी और रिजर्व में 100 प्रतिशत अभिदान के माध्यम से निवेश कर सकती है।

(3) गठित कोई भी सम्बद्ध संगठन केवल तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि आम निकाय द्वारा उसका अस्तित्व आवश्यक माना जाए।

(4) सम्बद्ध संगठन को निम्नलिखित तरीके से विघटित या परिसमापित किया जा सकता हैः-

क- न्यूनतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति वाली आम निकाय में इसके पक्ष में मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की स्वीकृति के पश्चात् या

ख- सदस्यों या जनता के हित के लिए सम्बद्ध संगठन के परिसमापन के लिए पंजीयक का निर्देश।

(5) ऐसे किसी सम्बद्ध सगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं को प्रति वर्ष समिति की आम निकाय बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

(6) समिति द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा जिसमे उस समिति/कंपनियों के नाम व विवरण होंगें जिसमें अधिग्रहित किए गए शेयरों की संख्या और मूल्य, अधिग्रहण की तारीख, तरीका और वह दर जिस पर शेयरों को बाद में निस्तारित किया गया, के विवरण होंगे।

(7) उपखंड (6) में संदर्भित रजिस्टर को समिति के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा जिसका किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है और उससे उसका उद्धरण लिया जा सकता है।

अमानत

73- संचालक मण्डल, समिति के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों से किसी भी समय अमानत ले सकता है। सदस्यों को अमानत जमा करने के लिए अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी। अमानत दो प्रकार की होगीः-

(1) मियादी (फिक्स्ड) अमानत,

(2) आवर्तक (रिकरिंग) अमानत।

74- (1) मियादी अमानत वह अमानत होगी जो निश्चित धनराशि की और निश्चित समय के लिए ली जायेगी। यह अमानत कम से कम एक हजार की होगी और इससे अधिक सौ रूपये के गुणनफल में होगी। इस अमानत की अवधि कम से कम छः मास होगी।

(2) मियादी अमानत पर ब्याज की दर संचालक मण्डल समय-समय पर उसकी अवधि को ध्यान में रखकर निश्चित करेगा, किन्तु यह दर समिति द्वारा बैंक से लिये हुये ऋण पर ब्याज की दर से कम होगी। मियादी अमानत पर ब्याज उतने समय पर देय होगा जो

अमानत जमा करते समय निश्चित किया जाये।

(3) मियादी अमानत पर निर्धारित समय, जिसके लिए वह ली गयी हो, समाप्त हो जाने के पश्चात् ब्याज लगना बन्द हो जायेगा। यदि अमानत को फिर से कम से कम 3 मास रखने के लिए लिखित सूचना समिति के कार्यालय में अमानत की अवधि समाप्त होने के पूर्व न आ जाय, या समिति किसी कारण से मियाद समाप्त होने पर मांगने पर अमानत को वापस न कर सके, अमानत का निर्धारित समय समाप्त हो जाने के पश्चात् समिति उसे दोबारा लेने के लिए बाध्य न होगी।

75- आवर्तक अमानत :-

यदि समिति की साधारण सभा का विशेष अधिवेशन उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से निश्चित करे तो प्रत्येक सदस्य के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जब तक समिति का सदस्य रहे वर्ष में कम से कम दो बार फसली आवर्तक अमानत में कुछ रूपया जमा करे। सदस्य अपनी इच्छानुसार यह बतायेगा कि वह कितना रूपया हर फसल में ऐसी अमानत में जमा करेगा, किन्तु अमानत में रूपया जमा करने की दर सौ रूपये के गुणन के रूप में होगी। संचालक मण्डल इस बात को दृष्टि में रखकर की किस फसल पर सदस्य की आमदनी होती है, अमानत जमा करने की तिथि निश्चित करेगा। सदस्य को अमानत में रूपया देने की दर में संचालक मण्डल की पूर्व अनुमति बिना कमी करने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से जमा की हुई अमानत में से उस तिथि से जब कि हिसाब खोला गया हो कम से कम 3 साल तक कोई रूपया नहीं निकाला जा सकेगा। परन्तु संचालक मण्डल को इस धनराशि की अमानत पर जमा की हुई रकम के 90 प्रतिशत तक ऋण देने का अधिकार होगा। संचालक मण्डल को यह भी अधिकार होगा कि इस अमानत के रूपये को किसी भी ऋण या अन्य रकम को पूरा करने लिए जो समिति के सदस्य पर वाजिब हो समायोजित कर ले। आवर्तक अमानत पर ब्याज की जो दर संचालक मण्डल निश्चित करेगा, समिति के ऋण लेने की ब्याज दर से वह अधिक न होगी। ब्याज हर 31 मार्च को सदस्य के हिसाब में जमा कर दिया जायेगा।

लाभ वितरण

76- वर्ष के कुल लाभ में से निम्नलिखित मदें घटाकर वर्ष का शुद्ध लाभ निकाला जायेगा :

(1) (अ) देय ब्याज,

(ब) प्रबन्धकीय व्यय,

(स) अशोध्य ऋणों के लिये प्राविधान,

(द) स्टाक और भवन पर अवमूल्यन (डेप्रिसियेशन)

(य) प्राकृतिक विपदा एंव अन्य क्षति से हुई हानि।

(2) (क) शुद्ध लाभ का कम से कम 25 प्रतिशत रक्षित निधि में डाला जायेगा,

(ख) समिति वर्ष की समाप्ति पर एक मास के भीतर अपने शुद्ध लाभ में से आधा प्रतिशत अथवा 500.00 रूपये जो भी अधिक हो शिक्षा निधि के लिए अंशदान करेगी; प्रतिबन्ध यह है कि यदि समिति शुद्ध लाभ में न होगी तो वह शिक्षा निधि में अंशदान नहीं करेगी।

(ग) समिति अपने शुद्ध लाभ में से एक प्रतिशत या अधिकतम 2500.00 रूपये उस वर्ष

की शीर्ष समिति में, जिससे वह समिति सम्बन्धित है, सृजित शोध एंव विकास निधि में अंशदान करेगी,

(3) सदस्यों को डिविडेन्ड तथा बोनस देने और समिति की विभिन्न निधियों में डालने हेतु वितरणीय लाभ निकालने के लिये शुद्ध लाभ में से निम्नलिखित मदें घटा दी जायेंगीः-

(अ) समस्त बकाया ब्याज,

(ब) समस्त अर्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज उन सदस्यों से जिन पर ब्याज बकाया हो,

(स) ऐसी उधार बिक्री, जिसकी वसूली अतिदेय हो, पर अधिक अर्जित कमीशन या लाभ।

(4) यदि समिति अपने सदस्यों को कृषि कार्यों की सुविधायें दे और उसे राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिली हो, तो वितरणीय लाभ में से पन्द्रह प्रतिशत कृषि ऋण स्थिरता कोष (एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फण्ड) में डाला जायेगा।

(5) शेष वितरणीय लाभ, नियमों के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जा सकता हैः-

(अ) सदस्यों को उनकी अंश पूंजी पर 20 प्रतिशत से अनधिक लाभांश के भुगतान के लिए,

(ब) अशोध्य ऋण निधि, राष्ट्रीय रक्षा निधि, भवन निधि, ग्राम सुधार निधि, विनियोजन अवमूल्यंन निधि, अंश संक्रमण निधि और लाभांश सहकारी निधि के संगठन और अंशदान के लिये,

(स) चैरिटेबिल एनडाउमेन्ट ऐक्ट 1890 की धारा 2 में परिभाषित किसी पूर्ति प्रयोजन (चैरिटेबिल परपज) के लिये 1 प्रतिशत तक धनराशि का दान,

(द) आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाने के लिये,

(6) जो लाभांश चुकता न किया जायेगा उस पर समिति कोई ब्याज न देगी।

(7) कोई भी लाभांश ऐसे अंश पर जो ऐसे सहकारी वर्ष की जिसके सम्बन्ध में लाभ का वितरण किया जाना हो, समाप्ति पर कम से कम 6 मास तक धृत किया गया हो, दत्त धनराशि पर देय न होगा। एक वर्ष से कम और 6 मास से अधिक समय तक धृत अंशों पर लाभांश केवल 6 मास के लिये देय होगा।

(8) सदस्य अपने अभिदत्त अंश पूँजी पर समिति द्वारा अर्जित लाभ को लाभांश के रूप में प्राप्त करने का अधिकार रखता है। बशर्ते कि समिति के डेयरी और मात्स्यिकी कार्यकलापों से प्राप्त लाभांश केवल क्रमशः मवेशी पालकों और मत्स्यपालक सदस्यों को ही पुनर्वितरित किया जाएगा और समिति की अन्य सभी लाभांशों को किसान सदस्यों को वितरित किया जाएगा।

लेखा पुस्तिका तथा रजिस्टर

77- (क) संचालक मण्डल समिति के कारोबार का सच्चा हिसाब-किताब इस ढंग से रखने का प्रबन्ध करेगा जिसे वह समिति के वास्तविक आर्थिक लेखा विवरण प्रदर्शित करने के लिए समय-समय पर उचित समझे। नियम 364 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखा पुस्तिका तथा रजिस्टर रखा जायेगा।

(ख) नियम 364 की उपधारा (2) में उल्लिखित व्यवस्था के अतिरिक्त समिति किसी अभिलेख या लेखा पुस्तकों की छटनी नहीं करेगी।

लेखा परीक्षा

78- (1) समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में से कम से कम एक बार अधिनियम की धारा 64 व नियमों के अनुसार निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(2) समिति लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित लेखा विवरणी तैयार करेगी और संम्पूर्ण लेखा परीक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर तुलन पत्र और लाभ व हानि खाते पर समिति के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात् उसे लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षण प्रतिष्ठान, जो भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत करेगी। लेखा परीक्षक को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 महीने की अवधि में लेखा परीक्षा पूरा करना होगा और लेखा परीक्षण रिपोर्ट की तारीख से 3 महीने के अन्दर पंजीयक के समक्ष लेखा परीक्षण सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(3) समिति की टर्नओवर या व्यावसायिक मात्रा के आधार पर संचालक मण्डल या निबन्धक द्वारा एक विशेष लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षक रखा जा सकता है। नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षक स्टाफ में से हो सकता है या उसे आउटसोर्स किया जा सकता है।

(4) समिति द्वारा लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा जिसे ऐसा करने लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

रक्षित निधि

79- (1) समिति की रक्षित निधि को निबन्धक की स्वीकृति से नियम 173 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जाएगा।

(2) नियम 170 के अधीन निधि अवितरणीय है और किसी सदस्य को उसके किसी विशेष हिस्से पर कोई दावा न होगा।

विवादों का निपटारा

80- तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, समिति को संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में, समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न, कोई विवाद--

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच अथवा

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्या अथवा सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति, समिति, उनके संचालक मण्डल, समिति के अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी भी हैं, के बीच, अथवा

(ग) समिति, उसके संचालक मण्डल और समिति के किसी भूतपूर्व संचालक मण्डल, किसी

अधिकारी, अभिकर्ता या कर्मचारी या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व कर्मचारी अथवा समिति के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत कर्मचारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या उसके दायाद अथवा विधिक प्रतिनिधि के बीच, अथवा

(घ) समिति और किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों के बीच, उत्पन्न हो तो वह अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबन्धक को अभिर्दिष्ट किया जायेगा।

उपविधियों में संशोधन

81- (1) इन उपविधियों में संशोधन उक्त प्रयोजन के लिये बुलाई गई किसी सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किया जा सकता है, अर्थात् उसमें परिवर्तन या विखंडन किया जा सकता है अथवा नई उपविधि बनाई जा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधन अथवा या ऐसे संशोधन, जिन्हें करने के लिये निबन्धक अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा करें, केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं:

(2) उपविधियों के संशोधन पर विचार करने के निमित्त सामान्य बैठक बुलाने के लिये सदस्यों को तीस दिन की नोटिस दी जायेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन निबन्धक से प्राप्त किसी आदेश के अनुसरण में बुलाई जाय तो पन्द्रह दिन की नोटिस पर्याप्त होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 26 के अनुसार यदि कोई बैठक निबन्धक की अनुज्ञा से 1/5 या 1/7 के कम गणपूर्ति से बुलाई जाय तो ऐसी बैठक के लिये सात दिन की नोटिस पर्याप्त होगी।

(3) ऐसी बैठक के लिये जिसमें किसी उपविधि के संशोधन पर विचार किया जाय, सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई की गणपूर्ति अपेक्षित होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में उपरोक्त अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक समिति को यह निर्देश दे सकता है कि वह दूसरी बैठक बुलाये, जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके 1/5 कर दी जायेगी और सदस्यों को इस तथ्य की सूचना दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि निबन्धक द्वारा पहले अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों या संशोधनों के अंगीकार किये जाने की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन यह निर्देश दिये जाने पर कि उसे समिति द्वारा अंगीकार किया जाये तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक 1/5 से कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो तो 1/7 तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य कि बैठक 1/7 की और कम गई गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक को कार्यसूची के नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा।

जामिन, उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व

82- (1) ऋणी के साथ जामिन पृथक-पृथक और सम्मिलित रूप से ऋण की अदायगी के लिये जिम्मेदार होंगे।

(2) जो सदस्य किसी दूसरे सदस्य से ऋण का जामिन हो वह उस ऋण की वापसी तक न तो सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकेगा और न अपना कोई अंश किसी को हस्तान्तर कर सकेगा।

(3) एक सदस्य अपना चुकता अंश 24 गुने तक, जिसमें से उसका स्वयं का लिया गया ऋण निकाल लिया जायेगा, तीन सदस्यों के ऋण की जमानत ले सकता है। प्रोनोट में लिखी हुई पूरी धनराशि जमानत का अधिकतम दायित्व निकालने के लिये मानी जायेगी न की आधी।

(4) किसी बकायेदार सदस्य के जामिन को स्वयं ऋण लेने या किसी अन्य सदस्य की जमानत करने का अधिकार न होगा।

(5) जामिन की सहमति के बिना उसके द्वारा जमानत लिये गये ऋण की अदायगी की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।

निर्वाचन नियम

83- (1) समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण एंव निर्वाचन की प्रक्रिया समय-समय पर अधिनियम, नियमावली एवं उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 (यथा संशोधित) में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन होगी।

(2) समिति, जिन समितियों की सदस्य होगी, उन समितियों के सामान्य निकाय में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु नियम 85-क में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेगी।

अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति या उप सभापति को हटाया जाना

84- नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही सभापति या उप सभापति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

उपविधियों का अर्थ

85- यदि इन उपविधियों की किसी उपविधि के अर्थ के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो संचालक मण्डल ऐसे मामले को निबन्धक के पास भेजेगा और इस विषय में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

विविध

86- यदि समिति किसी सहकारी केन्द्रीय वित्तपोषण संस्थान की ऋणी है तो उसके प्रतिनिधि समिति के बही खाते व अभिलेखों का परीक्षण करने लिए प्राधिकृत होंगे और समिति का बोर्ड ऐसे प्रतिनिधियों के समक्ष बहीखाते व अभिलेखों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे।

87- उपविधियों के कोई भी प्राविधान, अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों से असंगत होने की दशा में, तत्समय् प्रचलित यथा संशोधित उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 एवं उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 तथा नियमों के प्राविधान प्रभावी होंगे।

प्रपत्र 'अ'

घोषणा-पत्र

(नियम 48 के अधीन)

------------------ सहकारी समिति लि0 ------------ सदस्य बनने के -------------संदर्भ में एतद् द्वारा मैं घोषित करता हूँ कि मैनें समिति की आवेदन पत्र के ---------------------वर्तमान उपविधियों तथा समिति के अन्य विनियमों का अध्ययन कर लिया है। समिति की वर्तमान तथा अन्य विनियमों को मुझे पढ़कर सुना तथा समझा दिया गया है, और मैं उनसे सहमत हूँ तथा उन्हें और मेरी सदस्यता की अवधि में समय-समय पर उनमें जो परिवर्तन तथा परिवर्द्धन होंगे, मुझे मान्य होंगे तथा मैं उनके परिपालन के लिये बाध्य हूँगा।

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा,

दिनांक : / /20....... 1-

2-

साक्षी--

1- (1) हस्ताक्षर -

(2) पूरा नाम -

(3) पिता/पति का नाम -

(4) पूरा पता -

2- (1) हस्ताक्षर -

(2) पूरा नाम -

(3) पिता/पति का नाम -

(4) पूरा पता -

....

प्रपत्र 'ब'

घोषणा-पत्र

(नियम 40 के अधीन)

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता जिन्होंने स्वर्गीय श्री ------------------------- पुत्र ------------- निवासी ------------------------द्वारा धारित ------------------सहकारी समिति लि0 ------------- के अंश/अंशों को संयुक्त रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, एतद् द्वारा संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से श्री -----------------------, पुत्र ------------------,निवासी ---------------------- की जो उपरोक्त अंश/अंशों के संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी हैं, अपना प्रतिनिधि घोषित करते हैं तथा उनकी नियम 40 के स्पष्टीकरण (2) के अधीन रहते हुये, उपरोक्त समिति के कार्यों में मतदान देने का अधिकार प्रदान करते हैं।

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा,

दिनांक :   /   /20.......

1-

2-

साक्षी--

1- (1) हस्ताक्षर -

(2) पूरा नाम -

(3) पिता/पति का नाम -

(4) पूरा पता -

2- (1) हस्ताक्षर -

(2) पूरा नाम -

(3) पिता/पति का नाम -

(4) पूरा पता -

....